

जवाहर सर्किल
कार्मिक विभाग, प्रधान कार्यालय
जयपुर।

संख्या—NWR-HQ0PERS(HQ)/21/2022-O/o SECY TO PCPO n DY. CPO/W/PERS/HQ/NWR

दिनांक 22.07.2026

875ई / प्रका / अनुदेशक / कार्मिक / उपरे

महाप्रबन्धक (कार्मिक)—मुम्बई (चर्चगेट), मुम्बई (सीएसटी), चैन्नई (मद्रास), कोलकाता (फेयरली प्लेस), नई दिल्ली, गोरखपुर, कोलकाता (गार्डन रीच), मॉलीगॉव (गुवाहाटी), सिकन्दराबाद, हाजीपुर, भुवनेश्वर, हुबली, जबलपुर, इलाहाबाद, बिलासपुर, आरडीएसओ—लखनऊ।

प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशा. प्रका—उपरे जयपुर।

मु.प्र.अधि. (नि.)—उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर।

म.रे.प्र. (कार्मिक)—अजमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अहमदाबाद, सोलापुर, बडौदरा, प्रयागराज

मुख्य कारखाना प्रबन्धक (कार्मिक)—अजमेर, बीकानेर, जोधपुर।

उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक (कार्मिक)—अजमेर, जोधपुर, बीकानेर।

अधिसूचना

विषय:—वरिष्ठ कार्मिक अनुदेशक, पे मैट्रिक्स लेवल-7, (एक्स कैडर) पदों के चयन के संबंध में।

सन्दर्भ:—1. रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(MPP)2002/3/31 (RBE No.129/03) दिनांक 29.07.2003

2. रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(MPP)/2018/3/5 (RBE No.93/2018) दिनांक 19.06.2018

3. रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(NG)I/2018/PM 1/4 (RBE No.196/18) दिनांक 14.12.18

4. रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(NG)I/2018/PM 1/4 (RBE No.194/19) दिनांक 14.11.19

5. रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(NG)I/2017/PM 1/11 (RBE No.39/20) दिनांक 22.05.20

6. रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(NG)I/2017/PM 1/11 (RBE No.79/19) दिनांक 13.05.19

7. रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(NG)I/2017/PM 1/11 (RBE No.4/21) दिनांक 13.01.2021

8. इस कार्या का पत्र सं. 875-E/0/Selection (100% Objective Type) PS-88/20 19 दिनांक 20.06.19

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के वरिष्ठ कार्मिक अनुदेशक, पे मैट्रिक्स लेवल-7 के 04 एक्स कैडर पद को चयन के माध्यम से भरे जाने हेतु अखिल भारतीय रेलवे स्तर पर अधिसूचना जारी की जा रही हैं।

• रिक्तियों का विवरण—

क्र.सं.	पदनाम	पे मैट्रिक्स लेवल	प्रशिक्षण केन्द्र	रिक्ति
1	वरिष्ठ कार्मिक अनुदेशक	07	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर	04

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के वरिष्ठ कार्मिक अनुदेशक, पे मैट्रिक्स लेवल-7 के 04 एक्स कैडर पद को चयन के माध्यम से भरे जाने का प्रस्ताव हैं। उक्त परीक्षा का चयन, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी मोड) एवं क्लास रूम लेक्चर ट्रायल के आधार पर किया जायेगा।

• पात्रता से संबंधित शर्तें—

- 1) उक्त पदों के चयन हेतु कार्मिक विभाग (लेखा एवं आरपीएफ को छोड़कर) में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग एवं निरीक्षक संवर्ग कर्मचारी ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- 2) कर्मचारियों की पात्रता का निर्धारण अधिसूचना जारी की तिथि को किया जाएगा।
- 3) कार्मिक विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक/निरीक्षक, संवर्ग के कर्मचारी जो कि पे मैट्रिक्स लेवल-7 के पद पर नियमित रूप से कार्यरत होना चाहिए।
- 4) उक्त एक्स कैडर पद के लिए पे मैट्रिक्स लेवल-7 के पद पर नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों (उम्मीदवारों) का चयन नियमानुसार चयन की नियमित प्रक्रिया (Positive act of selection) के द्वारा किया जायेगा तथापि पे मैट्रिक्स लेवल-7 के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर एक ग्रेड नीचे अर्थात् पे मैट्रिक्स लेवल-6 के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा तथा उनका चयन भी नियमानुसार उक्त चयन प्रक्रिया द्वारा ही किया जायेगा।

- 5) यह पद एक्स कैडर पद हैं इसलिए इस पद को भरने हेतु अजा/अजजा कर्मचारियों के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है।
- 6) चयनित कर्मचारी को पैनल की स्थिति के आधार पर उक्त एक्स कैडर पद पर प्रोविजनली पदस्थ किया जायेगा और इसके लिए उनका इन्कारनामा/रिफ्यूजल स्वीकार नहीं होगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- 7) रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 13.01.2021 (आरबीई सं. 04/2021) के अनुसार उक्त एक्स कैडर पद पर की टेन्योर/प्रतिनियुक्ति अवधि 03 वर्ष एवं अधिकतम 05 वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में पदस्थ किया जायेगा। इस दौरान पदस्थ कर्मचारी का लियन/वरीयता उसके पैतृक रेलवे/मंडल/यूनिट/विभाग में ही विद्यमान रहेगी। टेन्योर अवधि समाप्त होने पर कर्मचारी को पैतृक रेलवे/मंडल/यूनिट/विभाग में वापस जाना होगा।
- 8) क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में उपरोक्त पद पर चयनित कर्मचारियों को अपने पैतृक रेलवे/मण्डल/यूनिट की वरीयता अनुसार ही पदोन्नति दी जायेगी।
- 9) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(MPP) 2023/3/6 दिनांक 04.09.2023 के अनुसार जारी अधिसूचना की तिथि को 58 वर्ष तक के कर्मचारी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- 10) इस कार्यालय के द्वारा जारी नीति पत्र दिनांक 18.11.2015 (पी एस संख्या-80/2015) के अनुसार "किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ कार्मिक अनुदेशक, पे मैट्रिक्स लेवल-7 के पद पर वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी तथा उक्त पदों पर पूर्व में कार्यरत रहे वे कर्मचारी जिनकी अपने मूल/पैतृक संवर्ग में वापसी तिथि से नियमित/तदर्थ आधार पर 01 वर्ष की कुलिंग अवधि पूर्ण नहीं हुई है, वे इस पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है।
- 11) रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 04.01. 2007 (आरबीई सं. 06/2007) के निर्देशानुसार चयन के उपरान्त चयनित वरिष्ठ कार्मिक अनुदेशक, पे मैट्रिक्स लेवल-7, के पद पर प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्रशिक्षण भत्ते के बदले प्रशिक्षण संस्थान में उस पद का वेतन प्राप्त करने के विकल्प की अनुमति नहीं होगी। एक्स कैडर पद पर वेतन प्रदान करने की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है और इस पद पर कार्य करने के लिए नियमानुसार प्रशिक्षण भत्ता दिये जाने का प्रावधान है।
- 12) कर्मचारी का चयन होने के उपरान्त क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में पदस्थ होने पर उसे स्थानांतरण पर मिलने वाली सुविधाएं (जैसे पास, कार्यग्रहण अवधि, समेकित स्थानांतरण भत्ता आदि) देय होगी।

• चयन प्रक्रिया-

- 13) रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 14.12.2018 (आरबीई संख्या 196/2018) प्रधान कार्यालय के जारी नीति पत्र दिनांक 03.06.2019 (पी एस संख्या 82/2019) एवं 20.06.2019 (पी एस 88/2019) के निर्देशानुसार चयन की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी मोड) 100 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (ओब्जेक्टिव टाइप प्रश्न) के आधार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (ओब्जेक्टिव टाइप प्रश्न) के लिए ऋणात्मक अंकन पद्धति (नेगेटिव मार्किंग) अपनायी जाने का प्रावधान है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जायेगा। एक्स कैडर पद के लिए आयोजित कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी मोड) के लिए केवल पात्र कर्मचारियों को ही बुलाया जायेगा। इस पद के चयन हेतु कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी मोड) 2 घंटे की होगी एवं कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी मोड) में 110 प्रश्न दिये जायेंगे (आवश्यक रूप से राजभाषा नीति से संबंधित 10 वैकल्पिक प्रश्नों सहित) चयन कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी मोड) में दिये गये 110 प्रश्नों में से कोई भी 100 प्रश्न हल कर सकते हैं।
- 14) उक्त चयन परीक्षा के लिए पूरक परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।
- 15) रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 13.05.2019 (आरबीई संख्या 79/2019) एवं दिनांक 14.01.2020 (आरबीई संख्या 04/2020) के निर्देशानुसार उक्त एक्स कैडर पद के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया में अंको की गणना निम्नानुसार की जायेगी।

	Written Test	Class Room Trial
Total Marks	75	25
Qualifying Marks	60%	60%

- 16) रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 22.05.2020 (आरबीई संख्या-39/2020) के निर्देशानुसार उक्त एक्स कैडर पद के लिये आयोजित चयन परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को कक्षा-कक्ष ट्रायल के लिये बुलाया जायेगा तथा पैनल मेरिट के आधार पर बनाया जायेगा।

● अन्य शर्तें—

- 17) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के आवेदन पत्र उनके पैतृक रेलवे/मण्डल/यूनिट के कार्मिक विभाग द्वारा सत्यापित करा कर ही इस कार्यालय को अग्रेषित करे, कार्मिक विभाग के द्वारा सत्यापित नहीं होने पर आवेदनो पर विचार नहीं किया जाएगा। ईडॉक, फैंक्स ईमेल पर प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा। उचित माध्यम से प्राप्त आवेदनो पर ही विचार किया जायेगा।
- 17) इस अधिसूचना का अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार किया जाये और सभी पात्र कर्मचारियों को नोट करवाया जायें।
- 18) अधिसूचना/चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार संशोधन/परिवर्तन का सर्वाधिकार प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
- 19) यदि किसी कर्मचारी का आवेदन सीधा अथवा अग्रिम रूप से प्राप्त होता हैं अथवा अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होता हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। संबंधित अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षक अपने अधीन कार्यरत इच्छुक पात्र कर्मचारियों के आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने से संबंधित मंडल/यूनिट के कार्मिक विभाग को दिनांक 15.08.2026 तक भेजना सुनिश्चित करें, उ.प.रे प्रधान कार्यालय के कार्मिक विभाग मे दिनांक 22.08.2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। कर्मचारियों के आवेदनो को भिजने से पूर्व कर्मचारियों के आवेदनो को कार्मिक विभाग के अधिकारी के द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त ही भेजे।
- 20) मंडल/यूनिट का कार्मिक विभाग केवल पात्र कर्मचारियों के आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में मय सेवा पंजिका की सत्यापित छायाप्रति वर्ष (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025) की गोपनीय रिपोर्ट की सत्यापित छाया प्रति एवं पात्र कर्मचारियों के विरुद्ध वर्तमान में कोई डीएण्डऐआर, विजीलेंस/ एसपीई का कोई मामला लम्बित नहीं हैं पर टिप्पणी एवं वर्तमान में कर्मचारी के विरुद्ध कोई पैनल्टी चलन मे नहीं है के प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को आवेदन दिनांक 04.07.2026 तक पत्रवाहक के साथ भेजना सुनिश्चित करे।
- 22) सभी महाप्रबंधक (कार्मिकों) से अनुरोध है कि आपके क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले मंडलों को उक्त अधिसूचना को परिपत्रित करवाने का श्रम करें।
- 23) उक्त चयन हेतु लिखित परीक्षा CBT Mode के माध्यम से आयोजित की जायेगी, जिसकी Tentative Date of written exam दिनांक 12.10.2026 निर्धारित है। उक्त परीक्षा तिथि मे परिवर्तन किया जायेगा तो जिसके संबंध मे दिशा निर्देश संबंधित पत्राचार के द्वारा या आर.आर.सी की बेबसाईट पर अवगत करा दिया जायेगा।

संलग्न—

1. प्रोफार्मा
2. पाठयक्रम/सिलेबस
3. मॉडल प्रश्न बैंक इस रेलवे की बेब साईट <ftp://10.141.6.90/> पर उपलब्ध है।

Digitally Signed by डॉ.

हिना अरोरा (DR-HINA ARORA)

Date: 22-07-2026 13:04:00

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/ कल्याण

Reason: Approved

कृत महाप्रबंधक (कार्मिक)

उपरे—जयपुर।

प्रतिलिपि—

1. महासचिव—एनडब्ल्यूआरईयू/यूपीआरएमएस—प्रका. उपरे—जयपुर।
2. महासचिव—एससी/एसटी/ओ.बो.सी. ऐशो. प्रका—उपरे जयपुर।
3. प्राचार्य—क्षेत्रिय रेल प्रशिक्षण संस्थान—उदयपुर।
4. रजिस्ट्रार/आरसीटी जयपुर।
5. सचिव—रेलवे भर्ती बोर्ड जम्मूतवी, अजमेर।
6. मुख्य परियोजना प्रबन्धक/आरई—कोटा, जयपुर।
7. समस्त मु. कार्यालय अधीक्षक/निरीक्षक कार्मिक विभाग, प्रका.उपरे—जयपुर।

I/405386/2026

अनुलग्नक-अ

सत्यापित फोटो

सेवा में,

महाप्रबन्धक / कार्मिक
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

विषय:-क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के वरिष्ठ कार्मिक अनुदेशक, पे मैट्रिक्स लेवल-7 के 04 एक्स कैडर पद को भरने के क्रम में ।

संदर्भ:- महाप्रबन्धक / कार्मिक का पत्र संख्या- e office – 87512 दिनांक 22.07.2026

आवेदन का प्रारूप

1	कर्मचारी का नाम	
2	पिता का नाम	
3	वर्तमान पदनाम	
4	पे मैट्रिक्स लेवल	
5	विभाग	
6	कार्यस्थल स्टेशन/यूनिट	
7	मंडल	
8	रेलवे	
9	जन्म तिथि	
10	अधिसूचना की तारीख को आयु	वर्ष माह दिन
11	रेल सेवा में नियमित नियुक्ति तिथि पदनाम एवं लेवल	
12	पे मैट्रिक्स लेवल-6 पर कार्यग्रहण करने की दिनांक (प्रशिक्षण अवधि छोड़कर)	
13	पे मैट्रिक्स लेवल-7 पर कार्यग्रहण करने की दिनांक (प्रशिक्षण अवधि छोड़कर)	
14	वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल (केवल नियमित)	
15	समुदाय (UR/OBC/ST/SC)	
16	डीएण्डआर/विजिलेंस/एसपीई मामला	
17	शैक्षणिक योग्यता (स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें।)	
18	आधार संख्या	
19	मोबाईल नम्बर	
20	HRMS ID	
21	IPASS ID	
22	Email ID	
23	Pwbd (Yes/No) If yes attach the Pwbd certificate	
24	संलग्न दस्तावेजों की सूची	

मुझे यह मंजूर है कि क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के वरिष्ठ कार्मिक अनुदेशक, पे मैट्रिक्स लेवल-7 के 04 रिक्त एक्स कैडर पद में प्रतिनियुक्ति पर चयन हो जाने के बाद मैं अपने मूल विभाग में 3+1+1 वर्ष पश्चात नियमानुसार जाने को तैयार रहूंगा।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे स्व-संज्ञान से सही एवं सत्य है, यदि कोई गलत तथ्य पाये गये तो प्रशासन मेरे विरुद्ध रेल सेवा आचरण नियम 1966 के पैरा 3.1 की अनुपालना नहीं करने पर अनुशासन एवं अपील नियम के अन्तर्गत दण्ड देने का अधिकारी है।

उम्मीदवार

हस्ताक्षर कर्मचारी.....

दिनांक/स्टेशन.....

प्रभारी के हस्ताक्षर

पदनाम, दिनांक सहित

पत्र सं.....दिनांक.....महाप्रबन्धक/कार्मिक प्र.का. जयपुर को उम्मीदवार का आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व यह प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी द्वारा दिये गये विवरण सेवापंजिका से सत्यापित किये गये हैं, एवं सही पाये गये हैं।

हस्ताक्षर (सहायक कार्मिक अधिकारी)
पदनाम, कार्यालय मोहर मय दिनांक

SYLLABUS FOR SELECTION FOR POST OF SR. INSTRUCTOR (PERSONNEL)

1. General conditions of services of employees.
2. Cadre creation of post, unsanctioned posts, review of the cadre and ban on creation of posts.
3. Manpower planning, classification of service, recruitment of Artisan staff, special reservation of Railway service for SC/ST/OBC and other categories, role of Railway Recruitment Boards in recruitment, recruitments other than through usual channels, direct recruitment to intermediate grades.
4. Training and Development Training for Gaz. Officers, safety category staff, trade apprentices, Engg. Trainees & clerical staff knowledge of Railway training institutes and Zonal training Centres.
5. Job Changes- Promotion, transfers dislocation, promotion to selection & non-selection posts, suitability/trade test, effect of refusal of promotion and dislocation, resignations, dismissal, absorption of medically de-categorized staff, transfer of SC/ST employees and Union officials and termination of employees.
6. Confidential Reports.(APAR)
7. Wages-System of wages payment in Railways, scales of pay, types of pay, types of allowances, TA Rules, wages, policies, principles of wage fixation, concept of minimum wages, Minimum wages Act. 1948, Payment of Wages Act, productivity linked bonus and incentive scheme.
8. Management of personal in Loco Sheds, C&W Depots, station Engg. Offices-various records kept and procedure followed and redressal of grievances, supervision work of Personnel & welfare Inspectors.
9. Advances and their eligibility
10. Substitutes and Casual labour engagement and its policy & procedure.
11. Leave Rules.
12. Maintenance of records-Service Register; Personal files and preparation of claims-pay bill, TA, Arrears, etc.
13. Disciplinary & appeal Rules, 1968; Railway services Conduct Rules, 1966 & Schedule of Disciplinary Powers.
14. Schedule of powers on Establishment matters.
15. Industrial Relation-Machinery of negotiation Rule of unrecognized trade unions and methods of dealing with them.
16. Factories Act, Special Rules for Workshop staff in Railways.
17. The employees compensation (Amendment) Act 2017
18. Staff welfare- Staff Benefit Fund, Consumer Co-operative Societies, medical assistance Workers' Education Scheme Societies, educational assistance reimbursement of tuition fees and reimbursement of legal expenses.
19. Pass Rules.
20. Retirement benefits under SRPF and pension Rules and NPS 2004,
21. Litigation of personnel matters., RTI Act 2005,

General Establishment Rules

Welfare activities on the Railway, Pass Rules, Organization and role of Personnel Department, its functions and objectives, schedule of powers in establishment matters, writing of confidential Reports, procedure in CAT/Court cases with special reference to filling of Review petitions, SLP, engagement of Advocates and payment of fees to them etc.